



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में जनपद-लखनऊ में फैजुल्लागंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुराना दाऊदनगर, फैजुल्लागंज में 50 शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-603/17फ/निर्माण/0अ0/2025-26, दिनांक 20.12.2025 तथा शासनादेश संख्या-16/2024/आई0/475436/2024-5-6099/176/2021-6, दिनांक 18.01.2024, शासनादेश संख्या-99/2024/आई0/561849/2024-5-6099/176/2021-6, दिनांक 15.05.2024 एवं शासनादेश संख्या-173/2025/आई0/1048949/2025-5-6099/176/2021-6 दिनांक 07.08.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रुपये 2295.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपये 573.75 लाख शासनादेश दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रुपये 573.75 लाख तथा शासनादेश दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु धनराशि रुपये 772.56 लाख अवमुक्त की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद लखनऊ में फैजुल्लागंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुराना दाऊदनगर फैजुल्लागंज में 50 शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रुपये 2295.00 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक में सम्बन्ध धनराशि रुपये 139.12 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रुपये 235.82 लाख (संगन पात्र बी0एम0-9 के अनुसार) अर्थात् कुल अवशेष धनराशि रुपये 374.94 लाख (तीन करोड़ चौरास लाख चौरानबे हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-16/2024/आई0/475436/2024-5-6099/176/2021-6, दिनांक 18.01.2024, शासनादेश संख्या-99/2024/आई0/561849/2024-5-6099/176/2021-6, दिनांक 15.05.2024 एवं शासनादेश संख्या-173/2025/आई0/1048949/2025-5-6099/176/2021-6 दिनांक 07.08.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत निर्माण कार्य के समस्त कार्य मानक के अनुसार व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा। यदि प्रश्नगत कार्य अधोमानक पाया गया या कोई भी

वित्तीय/अनियमितता परिलक्षित होती है, तो उक्त के लिए सी0एम0एस0/एम0एस0 एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2025-26 में नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
7. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,74,94,000 (रुपये तीन करोड़ चौदह लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-032 लेख नंबर 4210011108000 शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना मानक मॉडल-24 वृद्ध निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हिसाब) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (यू0पी0 सिडको), लखनऊ।
- 5- वित्त निबंधक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 8- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2025-2026-5 6099 176 2021 6

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद लखनऊ में फैजुल्लागंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुराना दाऊदनगर, फैजुल्लागंज में 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210021101500 (100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	24,19,39,000 रुपये चौबीस करोड़ उन्नीस लाख उन्तालीस हजार मात्र	2,35,82,000 रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र	2,35,82,000 रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र	21,83,57,000 रुपये इक्कीस करोड़ तिरासी लाख सत्तावन हजार मात्र	2025-2026

कुल

₹ 2,35,82,000

₹ 2,35,82,000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210011108000 (शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	2,35,82,000 रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र	2,35,82,000 रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र	17,35,82,000 रुपये सत्रह करोड़ पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र	2025-2026

कुल

₹ 2,35,82,000

₹ 2,35,82,000

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना

चाहें:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-16/2024/आई0/475436/2024-5-6099/176/2021-6-, दिनांक 18.01.2024, शासनादेश संख्या-99/2024/आई0/561849/2024-5-6099/176/2021-6-, दिनांक 15.05.2024 एवं शासनादेश संख्या-173/2025/आई0/1048949/2025-5-6099/176/2021-6-, दिनांक 07.08.2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

(1) उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के मद में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय-व्ययक में क्रम संख्या-1 में अंकित मद में रुपये 2500.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष रुपये 80.61

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लाख की स्वीकृति एवं रुपये 1277.88 लाख का प्रस्ताव विचाराधीन होने के पश्चात इस मद में रुपये 1141.51 लाख आय-व्ययक अवशेष है। इसके अन्तर्गत रुपये 235.82 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 19.12.2025 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रुपये 1920.06 लाख के सापेक्ष रुपये 1610.00 लाख व्यय होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता/गुणवत्ता/भौतिक प्रगति तथा कलर फोटोग्राफ प्रतिहस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपये 1500.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष रुपये 1360.88 लाख की स्वीकृति जारी होने के उपरान्त इस मद में रुपये 139.12 लाख की धनराशि अवशेष उपलब्ध है, परन्तु प्रश्नगत निर्माण हेतु रुपये 374.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की जाना अवशेष है। इस मद में रुपये 235.82 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-363, दिनांक 24 फरवरी, 2026

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव